



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2020
अग्रहायण 13, 1942 शक सम्बत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4/शा/735-2020-4-117(गोण्डा)-2014
लखनऊ, 04 दिसम्बर, 2020

निरस्तीकरण/अधिसूचना

प0आ0-333

जनपद गोण्डा की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन/परिसीमन के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/891/2015-4/117(गोण्डा)/2014, दिनांक 30 अप्रैल, 2015 को कालान्तर में जनपद-गोण्डा के ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 2578/33-3-2020-03रा0नि0आ0/14, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 के क्रम में शासनादेश संख्या 2758/33-3-2020-62-20, दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार पूर्व में गजट के माध्यम से प्रकाशित अधिसूचना संख्या 4/891-2015-4-117(गोण्डा)-2014, दिनांक 30 अप्रैल, 2015 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,
किंजल सिंह,
निदेशक,
पंचायती राज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 415 राजपत्र-2020-(935) 599 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 17 सा० पंचायतीराज-2020-(936) 132 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।